(104)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 684–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–2–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 269/10–11/अपील.

सुरेशचंद्र पिता स्व. भागीरथ
निवासी 22, लक्कड़गंज, उज्जैन .....आवेदक

विरूद्ध

1– प्रेमनारायण पिता स्व. भागीरथ
2– श्रीमती अवंति बाई पति स्व. भागीरथ
3– नरेंद्र पिता स्व. भागीरथ
4– मुकेश पिता स्व. भागीरथ
निवासीगण 8, यंत्र महल मार्ग
नीलगंगा, उज्जैन .....अनावेदकगण

श्री विजय गोविंदानी, अभिभाषक, आवेदक
श्री मुख्तार खान, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 11/5/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–2–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, उज्जैन के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उज्जैन स्थित सर्वे नम्बर 3729/1 रकबा 0.047, सर्वे नम्बर 3730, 3731, 3732, 3734/2, 3742/1/2/3 क्षेत्रफल 0.100 हेक्टेयर एवं उस पर निर्मित मकान तथा सर्वे नम्बर 3629/2 रकबा 0.130 हेक्टेयर भूमि के भूमिस्वामी स्व. भागीरथ द्वारा उनके पक्ष में दिनांक 2–12–2004 को पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित किया गया है । अतः प्रश्नाधीन

भूमि पर वसीयतनामा के आधार पर उनका नामांतरण स्वीकृत किया जाये । तहसील न्यायालयय द्वारा प्रकरण कमांक 39/अ–6/08–09 दर्ज कर दिनांक 25–3–10 को आदेश पारित कर अनावेदकगण का नामांतरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 11–2–2011 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27–2–2012 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलेख एवं साक्ष्य के विपरीत क्षेत्राधिकार रहित आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत विज्ञप्ति जारी किये बिना एवं हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना आदेश पारित करने में नामांतरण नियम 27 के विपरीत कार्यवाही की गई है, इसके उपरांत भी अपीलीय न्यायालयों द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि मृतक भूमिस्वामी द्वारा सीलिंग प्रकरण में प्रश्नाधीन सम्पत्ति का स्वत्व, हित व अधिकार आवेदक का स्वीकार किया था । अतः प्रकरण में स्वत्व का विवाद है और इस संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद विचाराधीन है और स्वत्व के निराकरण का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर व्यवहार न्यायालय को है, जिस पर कोई विचार नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अवैधानिकता की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि भूमिस्वामी स्व. भागीरथ वृद्धावस्था के कारण बीमार थे और उन्हें कम दिखाई एवं कम सुनाई देता था, वे बोल नहीं पाते थे । बीमारी के कारण वे कई बार अस्पताल में भर्ती रहे हैं, अतः वे वसीयत करने की स्थिति में नहीं थे और न ही उनके द्वारा स्वस्थ चित्त व स्थिर बुद्धि से कोई वसीयतनामा निष्पादित किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की आपत्ति अमान्य करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की गई है, क्योंकि हक त्याग लेख में प्रश्नाधीन सम्पत्ति के संबंध में कोई सहायता नहीं चाही गई थी और न ही प्रश्नाधीन सम्पत्ति के संबंध में कोई स्वत्व त्याग लेख आवेदक द्वारा लिखा गया था । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा वसीयतनामा

के संबंध में कोई निष्कर्ष निकाला गया है कि मृतक भूमिस्वामी द्वारा स्वेच्छा से अनावेदकगण के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया है या नहीं एवं वसीयतनामा पर उसके हस्ताक्षर हैं या नहीं और वसीयकर्ता द्वारा उसके अन्य उत्तराधिकारियों को उनके अधिकारों से क्यों वंचित किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, लिखित आपत्ति में उठाये गये बिन्दु एवं न्याय दृष्टान्तों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बोलता हुआ आदेश की श्रेणी में नहीं आता है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक मृतक भूमिस्वामी स्व. भागीरथ का पुत्र होकर उनका वैधानिक उत्तराधिकारी है । पैतृक सम्पत्ति में हिन्दु उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत आवेदक को जन्म से समान स्वत्व हित व अधिकार प्राप्त है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई विचार नहीं करने में भूल की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा साक्ष्य विधान की धारा 68 के अनुसार गवाहों के साक्ष्य नहीं करवाये गये हैं और न ही वसीयतनामा को विधिवत प्रमाणित किया गया है । वसीयत प्रमाणित करने का भार अनावेदकगण पर है, किन्तु उनके द्वारा वसीयतनामा को प्रमाणित नहीं किया है । ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि पर मृतक भूमिस्वामी के सभी उत्तराधिकारियों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाना चाहिए था, जिस पर अपीलीय न्यायालयों ने कोई विचार ही नहीं करने में विधिक त्रुटि की है ।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुए तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम भी संयुक्त रूप से दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया ।

तर्कों के समर्थन में ए.आई.आर. 2003 (सु.को.) 761, ए.आई.आर. 2005 (सु.को.) 233, 1996 आर.एन. 420, (उच्च न्यायालय), 2006 आर.एन. 417 (उच्च न्यायालय) एवं 2007(प्प्) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 53 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुंख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत निरस्त करते हुए वसीयतनामा के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का नामांतरण स्वीकृत किया है और तहसील न्यायालय के आदेश को दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा गुण–दोष पर विधिसंगत आदेश पारित कर स्थिर रखा गया है ।

(2) आवेदक ने नामांतरण नियम 27 का पालन नहीं किये जाने संबंधी लिखित तर्क में उठाया गया आधार निराधार है । आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर तहसील न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्य लिये जाने के उपरांत तथा साक्ष्य विधान की धारा 68 के अंतर्गत वसीयत को साक्षियों को कथन लिये जाने के उपरांत गुण–दोष पर आदेश पारित किया गया है । ऐसी स्थिति में वसीयत को प्रमाणित न किये जाने संबंधी प्रस्तुत तर्क प्रथक दृष्टया निराधार है ।

(3) आवेदक द्वारा स्व. भागीरथ के जीवनकाल में ही वर्ष 2004 में व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था, जो विचाराधीन है । व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में कोई स्थगन आदेश या कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है । चूंकि आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय में वसीयतनामा एवं अन्य दस्तावेजों को चुनौती दी गई है, ऐसी स्थिति में प्रश्चातवर्ती प्रक्रम पर भी राजस्व न्यायालय पर व्यवहार न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले निर्णय एवं डिक्री बंधनकारी होते हैं ।

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता के प्रावधानों के अनुरूप गुण–दोष पर आदेश पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । इस न्यायालय द्वारा निगरानी में साक्ष्य का विवेचन नहीं किया जा सकता है । विधि के सिद्धांत एवं विधि अनुसार निराकृत किये प्रकरण के निर्णय में किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जा सकता है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है, जिसमें आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर तहसील न्यायालय द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए आवेदक की आपत्ति निरस्त की गई है कि वसीयतनामा में उल्लिखित सम्पत्ति के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा दिनांक 7–6–2003 को उप पंजीयक के समक्ष हक त्याग विलेख का निष्पादन किया गया है, जिस पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, जिससे यह माना जायेगा कि आवेदक को उसके पिता से उसका हिस्सा प्राप्त हो गया है । अतः तहसीलदार द्वारा वसीयतनामा के साक्षियों एवं आवेदक के कथन अंकित कर, वसीयतनामा सिद्ध होने से वसीयतनामा के आधार पर अनावेदकगण का नामान्तरण स्वीकृत करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए तहसील न्यायालय के आदेश को यथावत रखते हुए आवेदक की अपील निरस्त की गई है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस संबंध में 1982 आर.

एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप व अन्य में निम्नलिखित न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया :–

''धारा 50–समवर्ती निष्कर्ष–अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं–पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।''

इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकालते हुए आदेश पारित किये गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । इस सम्बन्ध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है–:

''धारा 50–तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष–पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।''

उपरोक्त निष्कर्ष एवं प्रतिपादित न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–2–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर